

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्र. ५२०२ / एफ-२-४३ / ३१ / एस-२ / २०१९,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २५ / ११ / २०१९

मुख्य अभियंता,  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय :-** उत्तर—बस्तर—कांकेर जिले के विकासखण्ड—कोयलीबेड़ा की पी.व्ही. २१ एम.आई.टी. तालाब पक्की नाली बनाने कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


**संदर्भ :-** प्र.अ. का पत्र क्र.-२०३ / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / २०१९ / ११३००, रायपुर, दि. ०७.०९.२०१९.

—००—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-३६७ / सी-२८२६९ / ११ / वित्त / नियम / चार, रायपुर दिनांक ११.११.२०११ द्वारा जारी वित्त निर्देश ५० / २०११ में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-२ के अनुक्रमांक-८८ में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा उत्तर—बस्तर—कांकेर जिले के विकासखण्ड—कोयलीबेड़ा की पी.व्ही. २१ एम.आई.टी. तालाब पक्की नाली बनाने कार्य हेतु लागत राशि रु. ७९.९० लाख (रूपये उनासी लाख नब्बे हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई (४६ हेक्टेयर) में ३०.५८ हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४१—अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष—४७०२, लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, {१०१}—सतही जल, ०१०२—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (३८२८) लघु सिंचाई योजना, #९७—निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(याकुब खस्स)  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

...2

पृ. क्र. ५२०३ / एफ-२-४३/३१ / एस-२/ २०१९,

अटल नगर, दिनांक २५/११/२०१९

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—उत्तर—बर्स्तर—कांकेर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम ४-२२ अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, इंद्रावती परियोजना मंडल, जगदपुर, जिला—बर्स्तर।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर, जिला—उत्तर—बर्स्तर—कांकेर (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग